हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

09-04-19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप०। प्रकरण में बहस वकील वादीगण सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 15-04-2019 को पेश हो।

15-04-19 पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। प्रकरण में बहस वकील वादीगण पूर्व में सुनी जा चुकी है। परवक्त बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं०। सगे भाई है। प्रतिवादी सं०। बड़ा भाई होने एवं कर्ता खानदान होने के कारण विवादित पैतृक भूमि अकेले प्रतिवादी सं०। के नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड हो गई। विवादित भूमि में से 2/3 भाग की खातेदारी वादीगण के नाम किये जाने बाबत प्रतिवादी सं०। ने माननीय न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत कर तस्दीक करवा लिया है। अतः मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावे।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, पेशशुदा राजीनामा एवं मुख्य परीक्षण बाबत प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्रों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील वादीगण पर मनन किया गया। चूंकि प्रकरण में वादीगण द्वारा चाहे गए अनुतोष के अनुसार प्रतिवादी सं०। ने राजीनामा पेश कर न्यायालय हाजा द्वारा तस्दीक करवाया गया है। बाद राजीनामा विवादित पक्षकारान के मध्य कोई विवाद वर्तमान में विद्यमान नही रह गया है। प्रतिवादी सं०। ने राजीनामा के मार्फत वादीगण के वाद को स्वीकार किया गया है। विवादित भूमि के पड़ौसी दो खातेदार काश्तकारों के शपथ पत्रों से भी वादीगण के दावे की पुष्टि होती है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में तथा लोक अदालत की भावना से वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि:—

आदेश

राजस्व ग्राम सलेदीपुरा प०ह० केरपुरा तहसील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	खण्डेला जिला सीकर (राज०) में अवस्थित कृषि भूमि ख०नं० 189, 190, 191 रकबा 1.33 है० में से 2/3 भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/3 भाग की खातेदारी प्रतिवादी सं० 1 के नाम बदस्तूर रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो तथा तद्नुसार प्रकरण में पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली कैमल कुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 15-04-2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। 15/04/2019 (महीपाल सिंह) R.A.S. उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर) उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाइ

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खण्डेला

व इजलास श्री महीपाल सिंह, RAS

① मूलाराम ② घासीराम X. बनाम ① नारायण पुत्र मांगू X.

दावा बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा, रेकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं. 07 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री महीपाल सिंह, RAS

व हाजिरी श्री बनवारी लाल जांगू एड० मिनजानिब मुद्दई रूबरू —

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

राजस्व ग्राम सलेदीपुरा प०ह० केरपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) अवस्थित कृषि भूमि ख०नं० 189, 190, 191 रकबा 1.33 है० में से 2/3 भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/3 भाग की खातेदारी प्रतिवादी सं० 1 X.

मिंज X मुबलिग X बाबत X.

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह X फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक X को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 04 सन् 2019 को

जारी की गई।

15/04/2019

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा खण्डेला (सीकर)

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

X. पुत्रगण मांगू जाति माली नि० सलेदीपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०)

– (वादीगण)

बनाम

X. जाति माली नि० सलेदीपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०)

② भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर (राज०)

– (प्रतिवादीगण)

X. के नाम बदस्तूर रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो।

15/04/2019

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)